- क्या विद्यालय मे खेल एवं मनोरंजन समाग्री उपलब्ध है ?
- शिक्षण समाग्री (Teaching Learning Material) की उपलब्धता है?
- बाल संसद सक्रिय है ?
- विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक नियमित होती है ?
- शुद्व पेय जल उपलब्ध है ?
- क्या बालक–बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था है ?
- वर्ग एवं बच्चों की संख्या के अनुसार कमरे उपलब्ध है ?
- क्या बच्चों को नियमित एवं गुणवत्तापुर्ण पोषाहार मिलता है ?
- शिक्षक–बच्चों की बैठने की समुचित व्यवस्था है ?
- रसोई घर उपलब्ध है ?
- नियमित छात्रवृती का भुगतान होता है ?
- विकलांग बच्चों के अनुकूल साधन उपलब्ध है ?
- पुस्तकालय की सुविधा है ?
- साफ–सफाई एवं अनुकुल वातावरण है ?
- विद्यालय की सभी कार्यक्रमों मे बच्चों की सहभागिता होती है ?
- विद्यालय की चाहरदीवारी है ?

राष्ट्रीय झारखण्ड सेवा संस्थान

RJSS — abhivyakti FOUNDATION — CESAM — RESPONSIBLE MICA INITIATIVE

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

इस अधिनियम के तहत 6 से 14 साल के बच्चे को नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान है।

है सबकी जिम्मेदारी शिक्षा का अधिकार

विद्यालय प्रबंधन समिति मार्गदर्शिका

इस अधिनियम के महत्वपूर्ण बिन्दु :-

- 6 से 14 वर्ष के सभी लड़का, लड़की ,बाल मजदुर या निःशक्त हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है।
- कोई भी स्कूल सरकारी या गैर–सरकारी किसी भी बच्चे को दाखिला लेने से मना नही कर सकता ।
- गैर–सरकारी और विशेष श्रेणी के स्कूलों मे 25 प्रतिशत सीटें पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रहेगें ।
- पढाई मे पिछड़े बच्चों को बराबरी पर लाने के लिए उनकी उम्र के मुताबित विशेष कक्षाओं का प्रबंध किया जायेगा।
- किसी भी बच्चे को 8वीं कक्षा तक फेल नही किया जायेगा।
- हर स्कूल मे प्रत्येक 30 बच्चें की संख्या पर एक शिक्षक होना चाहिए।
- हर साल स्कूलो मे कम से कम 200 कार्य दिवस , जिसमे 800 शैक्षणिक घंटे और जूनियर में 220 कार्य दिवस , जिसमे 1000 शैक्षणिक घंटे की पढाई होगी।

विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC)

- इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक स्कूलों मे विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है।
- बच्चों के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चत करने मे **SMC** की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
- विद्यालय प्रबंधन समिति देख–रेख समिति होती है।
- गैर–सहायता प्राप्त विद्यालयों को छोडकर शेष सभी विद्यालयों में **SMC** का गठन किया जाना जरुरी है।

विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना

- विद्यालय प्रबंधन समिति **(SMC)** का कार्यकाल 3 वर्षो का होगा। तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर समिति का पुनर्गठन किया जायेगा।
- विद्यालय प्रबंधन समिति मे सदस्यों की संख्या 16 होगी जिसमें 75 प्रतिशत अर्थात 12 सदस्य निम्न होगें –
- संबंधित विद्यालयों मे शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों के माता–पिता या अभिभावक (महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत अनिवार्य) शेष 25 प्रतिशत सदस्यों मे अर्थात 4 सदस्य निम्न होगें –

1. स्थानीय प्राधिकार के एक निर्वाचित सदस्य
2. विद्यालय का एक शिक्षक , जिसका चयन विद्यालय के शिक्षको के द्वारा किया जायेगा।
3. विद्यालय के बाल संसद के एक प्रतिनिधि।
4. विद्यालय के एक प्रधानाध्यापक /प्रधान शिक्षक /वरिष्ठतम शिक्षक।

- उक्त समिति मे माता–पिता के 12 सदस्यों का चयन किया गया एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होगा।
- विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य सचिव होंगे।

विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य

- उक्त समिति की प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बैठक होगी ।
- विद्यालय के आवश्यकताओं का पता लगाना।
- विद्यालय के पोशक क्षेत्र के सभी बच्चों का नामांकन एवं उनकी उपस्थिति सुनिश्चत करना।
- बच्चों के अधिकारों मे किसी प्रकार का हनन होने पर समिति इसको स्थानीय प्राधिकार की जानकारी मे लायेगी।
- निःशक्त बच्चों की पहचान कर उनका नामांकन करवाने तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं व उनकी प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चत करना ।
- विद्याालयों मे मध्याहन भोजन को सही तरीके से संचालित करवाना।
- विद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करना।
- विद्यालय से संबंधित लेखाओं को उक्त समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना और उसके एक माह के अंदर स्थानीय प्राधिकार को उपलब्ध कराना।
- **SMC** का सबसे महत्तवपूर्ण कार्य–विद्यालय विकास योजना तैयार करना

विद्यालय विकास योजना

प्रत्येक विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा अपने विद्यालय हेतु एक विद्यालय विकास योजना तैयार किया जाना जरुरी है ।

विद्यालय विकास योजना 3 वर्षीय योजना होगी जिसमे 3 वार्षिक उप – योजनाएं होगें विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित ब्योरे होगें:–

- विद्यालय के पोषक क्षेत्र मे 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की संख्या कितनी है।
- क्या विद्यालय के पोषक क्षेत्र के सभी बच्चों का नामांकन हुआ है, नही तो कितने बच्चों का नामांकन पड़ोस के विद्यालयो मे हुआ है।
- पड़ोस के विद्यालय का नाम क्या है।
- विद्यालयों मे शिक्षकों की उपस्थिति नियमित हो , सुनिश्चित करना ?

- विद्यालय मे नामांकित बच्चों की संख्या कितनी है?
- विद्यालयों मे शिक्षकों कितने स्वीकृत है?
- स्वीकृत पद मे कितने शिक्षक कार्यरत है?
- शिक्षक एवं छात्रा का अनुपात 1:30 को पुर्ण करता है या नही?
- सभी बच्चों को पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चत कराना?
- क्या विद्यालय के सभी शिक्षक प्रशिक्षित है?
- क्या विद्यालय में सप्ताहिक समय सारणी बनी है?
- क्या समय सारणी के अनुसार पढ़ाई होती है?
- क्या विद्यालय में शैक्षणिक कैलेण्डर का अनुपालन होता है?